



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 23.02.2026

1. थाना बिसरख पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से वादी का 01 पर्स, 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल व 01 चाकू बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 14/15.02.2026 की रात्रि में अभियुक्तों द्वारा बाइक राइडर को चाकू मारकर घायल कर उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन व पर्स छीन लिया, जिसके संबंध में थाना बिसरख पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 23.02.2026 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्त 1. योगेश कुमार पुत्र रविकान्त 2. मनीष कुमार पुत्र सुनील सिंह 3. सुजल तिवारी पुत्र राजीव कुमार को थाना क्षेत्रांतर्गत डी-मार्ट के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से वादी का 01 पर्स, 530 रुपये नकद , 01 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल रजि0नं0- DL14TD6776 व 01 चाकू बरामद किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. योगेश कुमार पुत्र रविकान्त निवासी ग्राम चहली, थाना नूरपुर, जिला बिजनौर, वर्तमान पता दल्लुपुरा, थाना न्यू अशोक नगर, दिल्ली, उम्र 20 वर्ष ।
2. मनीष कुमार पुत्र सुनील सिंह निवासी ग्राम कनौली बलतारा, थाना गोगरी, खगरिया(बिहार) वर्तमान पता डूब क्षेत्र बिसरख, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर, उम्र 18.5 वर्ष ।
3. सुजल तिवारी पुत्र राजीव कुमार तिवारी निवासी लिलई तिवारी पुरवा, थाना करथुनी, सुल्तानपुर वर्तमान पता गडौली गुर्जर बस्ती, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर, उम्र 20 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--मु0अ0सं0 119/2026 धारा 309(6)बीएनएस, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 पर्स, 530 रुपये नकद
2. 01 मोबाइल फोन
3. घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल रजि0नं0- DL14TD6776
4. घटना में प्रयुक्त 01 चाकू

2. थाना बिसरख पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही से चोरी की 03 मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्र बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 23.02.2026 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1. बाबू उर्फ शाजिद पुत्र मुनावर अली 2. प्रियांशु पुत्र रतन सिंह को डबल पुलिया चारमूर्ति के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे/निशानदेही से चोरी की 03 मोटरसाइकिल, 01-01 अवैध चाकू बरामद किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. बाबू उर्फ शाजिद पुत्र मुनावर अली निवासी गांव लालगंज अजराहा, थाना सांगीपुर, प्रतापगढ़ वर्तमान पता ब्रजवासी पुरम कालौनी, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 20 वर्ष।
2. प्रियांशु पुत्र रतन सिंह निवासी नगरिया, थाना अलीगंज, एटा वर्तमान पता ब्रजवासी पुरम कालौनी, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

- 1- मु0अ0सं0 138/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।
- 2- मु0अ0सं0 135/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।
- 3- मु0अ0सं0 321/2024 धारा 379 भादवि, थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।
- 4- मु0अ0सं0 009/2023 धारा 379 भादवि, थाना कोतवाली शहर, बुलन्दशहर।

बरामदगी का विवरण--

- 1- 02 अवैध चाकू
- 2- 01 मोटरसाइकिल चैसिस नं0- MBLHAW477THA11421 संबंधित मु0अ0सं0 135/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।
- 3- 01 मोटरसाइकिल रजि0नं0- UP14ER0244 संबंधित मु0अ0सं0 321/2024 धारा 379 भादवि, थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।
- 4- 01 मोटरसाइकिल रजि0नं0- UP13AP5958 संबंधित मु0अ0सं0 009/2023 धारा 379 भादवि, थाना कोतवाली शहर, बुलन्दशहर।

3. थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा आमजन को इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर कराने के नाम पर ठगी करने वाला 01 साइबर अपराधी गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 23.02.2026 को थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा आमजन को इंश्योरेंस पालिसी मैच्योर कराने के नाम से की जा रही साइबर ठगी करने वाले साइबर अपराधी अमन कुमार पुत्र शेषवीर सिंह को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 23/02/2026 को एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायतों में प्रयुक्त संदिग्ध मोबाइल नंबरों की तकनीकी जाँच व लोकल इंटेलेजेंस की सूचना के आधार पर नोएडा से 01 शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। यह साइबर अपराधी जनता के लोगो को इंश्योरेंस पालिसी मैच्योर कराने के नाम पर ठगी करता था। बैंक खातों के विरुद्ध भारत के राज्य उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्र से 02 शिकायतें दर्ज हैं, जिसमें करीब 2.88 लाख रुपये खातों में प्राप्त किए गए हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--अमन कुमार पुत्र शेषवीर सिंह निवासी जिला फिरोजाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-- मु0अ0स0 20/2026 धारा 318(4),319(2), 61(2) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण--

1. मोबाइल फोन-02 फोन,
2. लैपटॉप- 01
3. धनराशि-10 हजार रुपये,
4. 03 बैंक खातों का स्टेटमेंट(02 एक्सिस बैंक व 01 फेडरल बैंक)

⇓ **साइबर जागरूकता संदेश--**

- 1- इंश्योरेंस पालिसी मैच्योर कराने के नाम पर कोई अज्ञात व्यक्ति रुपये मांगे तो सावधान रहें -यह हमेशा ठगी होती है ।
- 2- कभी भी व्हाट्सएप/कॉल पर आए फर्जी कॉल व मैसेज पर विश्वास न करें ।
- 3- बैंक/कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से सत्यापित करें।